न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 70/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/208

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
1. रतनसिंह पुत्र स्व. मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी पाती हाल ठिकाना 42, वैंकटेश मार्ग पाली तहसील व जिला पाली। 2. भैरूसिंह पुत्र स्व. मांगीलाल, जाति गुर्जर, निवासी– पाती, हाल ठिकाना–21, अम्बेडकर नगर पाली, तहसील व जिला पाली। 3. भवानीसिंह पुत्र स्व. मांगीलाल गुर्जर, निवासी पाती, ठिकाना – 21, अम्बेडकर नगर पाली, तहसील व जिला पाली। 4. जब्बरसिंह पुत्र स्व. मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी– पाती, हाल ठिकाना–79, अम्बेडकर नगर पाली, तहसील व जिला पाली।		1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट, जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा
सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: **निर्णय** ::–

दिनांक :– **27.11.2024**

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के विरूद्ध तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 662 दिनांक 10.09.1998 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। वक्त बहस अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा उपस्थित हुए। सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित आये। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा पाती, तहसील रोहट के खसरा संख्या 48 व 52 रकबा क्रमशः 52 बीघा 10 बिस्वा व 4 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 57 बीघा 08 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि सह–खातेदार है जिसमें 1/4 हिस्से के सह–खातेदार अपीलार्थीगण के पिता मोंगिया उर्फ मांगीलाल वल्द कालू गुर्जर थें तथा 1/4 हिस्से के खातेदार पेमा वल्द कालू एव शेष 1/2 हिस्से के खातेदार रूघा वल्द देवा गुर्जर थे। अपीलार्थीगण के पिता श्री मोंगीया उर्फ मांगीलाल वल्द कालू गुर्जर का देहान्त के वक्त उनक प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान अपीलार्थीगण पुत्र ही जीवित थे एवं है। उक्त जैर नामान्तरकरण कैम्प चैण्डा में भरते वक्त अपीलार्थीगण

को कोई नोटिस नहीं दिया, न ही कोई जवाब साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर दिया और न ही सही नाम बाबत् कोई जांच किये बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। जिस कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण में स्व. मोंगीया उर्फ मांगीलाल के विधिक वारिसान के सही नाम रतनसिंह, भैरूसिंह, भवानीसिंह एवं जब्बरसिंह के स्थान पर घर–परिवार, रिश्तेदारों एव गांव में लिया जाने वाले नाम रतनाराम, भैराराम, भंवराराम एवं जबराराम गलत दर्ज कर अपीलाधीन फौतेदगी नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत कर दिया जिससे जैर नामान्तरकरण इस हद तक काबिले खारिज है। अतः जैर अपील स्वीकार कर जैर नामान्तरकरण निरस्त करने का आदेश फरमावे।

अपीलाण्ट्स द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलाण्ट्स द्वारा पेश किये गये अपील मीमो व अपने साक्ष्य से यह कथन कि अपीलाण्ट्स का वास्तविक नाम रतनसिंह, भैरूसिंह, भवानीसिंह एव जब्बरसिंह है जबकि जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट्स का नाम रतनसिंह, भैरूसिंह, भवानीसिंह एव जब्बरसिंह के स्थान पर रतनाराम, भैराराम, भंवराराम एव जबराराम दर्ज कर दिया गया। इसलिए जैर नामान्तरकरण भरते समय त्रुटिपूर्वक दर्ज किये गये उक्त नाम का संशोधन किया जाये। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेज, रेकर्ड व साक्ष्य से अपीलाण्ट्स का उक्त तथ्य प्रथम–दृष्ट्या उचित प्रतीत होता है परन्तु फिर भी सम्पूर्ण जांच के बाद नाम के संशोधन का विषय हैं। अतएव जैर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, रोहट को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में स्थानीय निकाय एवं विधिवत उचित जांच कर प्रकरण में अपीलाण्ट्स के समस्त दस्तावेज यथा आधार पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, जन आधार आदि अनुसार अपीलाण्ट्स के नाम संशोधन संबंधित नव नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की सत्य प्रति तहसीलदार रोहट को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **27.11.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली